

22-2-19

पत्रावली पेश हुयी वाडिया की कोर से श्री नरेन्द्र सक्सेना एडवोकेट प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रकरण से बहस छुनी जावे/प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिये श्री नरेन्द्र सक्सेना एडवोकेट कावाजे लगावाई गई/ नियमित इन्टरवल पर आवाजे लगावाई गई लेकिन अभिभाषक श्री नरेन्द्र सक्सेना उपाधेश्वर नहीं काये इसके यह जाहिर होता है कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रकरण को लाञ्छित करना चाहते है। पूर्व में पत्रावली के शव लोकर से पूर्व में श्री वाडिया की कोर से कई बार प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को लाञ्छित करना जाहिर होता है। अतः पत्रावली का शव लोकर कर प्रहलर साथ व लिखित अभिकथनों के आधार पर डावा कोडिया स्वारेज किया जाता है। विहलर रिजय प्रथक से लिखता जाकर ब्रामिल पत्रावली किया गया प्रचि डिक्की जानी है। पत्रावली के शल शुमार होकर डाक्लि अक्षर है।

उपखण्डाधिकारी  
डीलपर